




किसानाराम बनाम प्रेमराम वगैरह
दावा क्रमांक 267/2022

1. वादी किसानाराम के हक बंट कब्जा काशत में मौजा सिलारिया के खेत खसरा नम्बर 233 रकबा 10.9346 हैक्टेयर में से रकबा 1.3844 हैक्टेयर हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 225 रकबा 1.5054 हैक्टेयर में से रकबा 0.3237 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 2. प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमराम के हक बंट कब्जा काशत में मौजा सिलारिया के खेत खसरा नम्बर 233 रकबा 10.9346 हैक्टेयर में से रकबा 4.8562 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 179 रकबा 6.7906 हैक्टेयर में से रकबा 4.8562 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 225 रकबा 1.5054 में से रकबा 0.3237 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 3. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 क्रमाशः गुलाबीदवी, जितेन्द्र जांगिड़ एवं राजेन्द्र जांगीड़ के शामिलति हक बंट कब्जा काशत में मौजा सिलारिया के खेत खसरा नम्बर 233 रकबा 10.9346 हैक्टेयर में से रकबा 4.6943 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 187 रकबा 2.1691 हैक्टेयर पूरा (यथावत्) एवं खसरा नम्बर 179 रकबा 6.7906 में से रकबा 1.9344 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 225 रकबा 1.5054 हैक्टेयर में से रकबा 0.8586 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
- माफिक वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।



निर्णय आज दिनांक 17.7.20 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल